

**उद्धरण खतौनी
(जन सुविधा केन्द्र / लोकवाणी केन्द्र से जारी)**

उद्धरण क्रमांक : CS/1986284
Ref no : 181970090041681

ग्राम क्रमांक : ग्राम का नाम / परगना : undefined / undefined तहसील : जनपद : फसली वर्ष : भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आग या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आग देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
--------------------------------	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---------

1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : undefined / undefined							
00502	वर्जर . . . / . . .		75 280 70 608	1.0900 0.0160 0.0200 0.0120			

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 59 (4)ग के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.07.2018 के अनुपालन में मौजा कुरुआ परगना दे0अ0 तहसील सदर जिला वाराणसी की आ0नं0 75 रकबा 0.9500हे0 भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक आपूर्ति डेबल हाउसिंग डन पार्टनरशिप के अंतर्गत दुर्बल आवास वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निः शुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) के नाम अंकित हो।

कार्यालय जिलाधिकारी वाराणसी के पत्र सं05059/सात भू0मु0/2018 दिनांक 6 नवम्बर 2018 शासनादेश संख्या-1131/8-1-17/2008 विविधा/2016 दिनांक 11.07.2018 के अन्तर्गत एवं शासनादेश संख्या-66/3-2(6)/79 रा0-1 दिनांक 01.07.1983 एवं अद्वयतन शासनादेश 744एक-1-20(5)/2016 दिनांक 3.06.2017 का आंशिक परिष्कार करते हुए और 30प्र0राजस्व संहिता 2006 (30प्र0आर्थितनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा 59 की उप धारा (4) के खण्ड(ग)

तथा 30प्र0 राजस्व सहित निम्नमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016(5)/2016 दिनांक 6.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी वाराणसी अधीनस्थित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गॉव संभा में निहित थी फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त मुख्य सचिव 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1131/आठ-1-17-08-विधि/2016 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 दिनांक 11.07.2018 के अनुपालन में गठित समिति की आयोजित बैठक दिनांक 19.07.2018 में लिये गये सर्वसम्मति निर्णय के क्रम में अनुसूची में क्रम 7/8 में उल्लिखित आराजी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निर्माण हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को हस्तागत कराया जाय। याम कुरुआ परवना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी आराजी नम्बर 75 रकबा 0.950 हे0 ब्रेणी 5-3-इ बंजर भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निर्माण हेतु।

4 1.138 0.00 2

0

कुल गाटे- चार कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव एक तीन आठ (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by:

उपरोक्त उद्घरण खतीनी का वैधिकेशन <http://upbphubkh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



सहस्र अधिकारी:
तहसील: undefined जनपद: undefined
दिनांक एवं समय: Wed Dec 05 11:49:39 IST 2018
यह उद्घरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा श्रुता डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

